

प्रारूप - 3

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति-

- (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उत्तराखण्ड
 (ख) जिला देहरादून
 (ग) जिला वन प्रभाग चक्राला वन प्रभाग (देवघर रेजि. एन.टी.)
 (घ) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

2. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रारिथिति।

3. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा-

- (क) वन का प्रकार आरक्षित वन भूमि 0.054 हे०
 (ख) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व
 (ग) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना लागू नहीं
 (घ) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा लागू नहीं

4. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लागू नहीं5. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी। लागू नहीं6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता। लागू नहीं

- (क) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा। लागू नहीं
 (ख) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)। लागू नहीं
 (ग) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि०मी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)। लागू नहीं
 (घ) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्पन्नवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि०मी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)। लागू नहीं
 (ङ) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसम के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं, तो उसके ब्यौरे। लागू नहीं

7. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दे) —

8. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें-

- (क) क्या भाग-1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है, और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। लागू नहीं
 (ख) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है। लागू नहीं

9. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे-

- (क) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शन सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) नहीं
 (ख) यदि हां, की गई कार्य अवधि अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही।
 (ग) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) नहीं

10. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे-

- (क) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिथिति।

- (ख) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।
- (ग) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दिति करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भास्त का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। **दस्तावेज कर दिया है।**
- (घ) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न है (हां/नहीं) **हां**
- (ङ) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय- **हां**
- (च) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचानकर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हां/नहीं) **हां**

वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं) **हां**

स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों पर **प्रमाणित** किया गया है। **प्रमाणित** किया गया है।

प्रमाणित किया गया है। **प्रमाणित** किया गया है। **प्रमाणित** किया गया है।

प्रमाणित किया गया है। **प्रमाणित** किया गया है। **प्रमाणित** किया गया है।

2-7-2019 को प्रमाणित किया गया है। **प्रमाणित** किया गया है।

प्रमाणित किया गया है। **प्रमाणित** किया गया है। **प्रमाणित** किया गया है।

प्रमाणित किया गया है। **प्रमाणित** किया गया है। **प्रमाणित** किया गया है।

दिनांक 16-7-2019
स्थान

प्रमाणित
हस्ताक्षर
उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चक्रवर्ती वन प्रभाग
बनारसी

नाम
अधिशारी अभियन्ता
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम
बनारसी (पुरोड़ी)

प्रभागीय वनाधिकारी
चक्रवर्ती वन प्रभाग
बनारसी